सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना—पत्र संख्याः— 2024 / 450(264 / 24) दर्ज तिथिः—27.09.2024

पार्टी संख्या 01
1. केसाराम पुत्र मूलाराम
2. गोरधनराम पुत्र मलाराम
3. चुनी पत्नी शेराराम
4. जालाराम पुत्र मलाराम
5. जीया पुत्र शेरा
6. पदमाराम पुत्र मलाराम
7. भला पुत्र शेरा
8. लुम्बा पुत्र शेरा
9. विशना पुत्र शेरा
   जाति जाट

पार्टी संख्या 02
10. राजु पुत्र वगता

पार्टी संख्या 03
11. अणसीदेवी पत्नी सोनाराम
12. आईदानराम पुत्र सोनाराम
13. लिखमाराम पुत्र सोनाराम

पार्टी संख्या 04
14. आदुराम पुत्र जवाराराम फौत के कायम मुकाम
    14 / 1 जेती पत्नी आदुराम
15. कुम्भाराम पुत्र जवाराराम
16. कलाराम पुत्र जवाराराम
17. जेठाराम पुत्र जवाराराम
18. बाबुराम पुत्र जवाराराम

पार्टी संख्या 05
19. भेराराम पुत्र नारणाराम
20. भंवाराराम पुत्र नारणाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.13 19:10:10 IST
Reason: SelfAttested

21. भाणी पत्नी नारणाराम

पार्टी संख्या 06

22. अणसी पत्नी पुरखाराम
23. खेराजराम पुत्र पुरखाराम
24. घमुराम पुत्र पुरखाराम
25. दानाराम पुत्र पुरखाराम
26. धुड़ाराम पुत्र पुरखाराम
27. हेमाराम पुत्र पुरखाराम

पार्टी संख्या 07

28. उमाराम पुत्र भूपाराम
29. मानाराम पुत्र भूपाराम
30. मालाराम पुत्र भूपाराम

पार्टी संख्या 08

31. भवरा पुत्र खेता

पार्टी संख्या 09

32. गिरधारी पुत्र खेता

पार्टी संख्या 10

33. उगराराम पुत्र तुलछाराम
34. राउराम पुत्र तुलछाराम
35. लक्ष्मी पत्नी तुलछाराम
36. हेमाराम पुत्र तुलछाराम
तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर

......................प्रार्थीगण

बनाम

1. अधिशाषी अभियंता, पी.डब्ल्यू.डी. खण्ड गुड़ामालानी
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नोखड़ा

......................अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः—श्री सुखराम विश्नोई
अप्रार्थीगणः— एकतरफा

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—131,136
राजस्थान भू—राजस्व अधि.—1956

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.13 19:10:10 IST
Reason: SelfAttested

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—23.05.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 399/290/5.9219 है0, 290/2.2181 है0, 339/5/2.1439 है0, 339/4/2.0468 है0, 339/10/2.1034 है0, 339/6/3.0418 है0, 339/2.4270 है0, 339/11/0.0971 है0, 308/5/5.6630 है0, 308/4/5.1695 है0, 308/2/3.6567 है0 मौजा आडेल तहसील नोखड़ा में अवस्थित है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी के सेढासेढ प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी में से रास्ते की भूमि कट्टण करते हुए राज्य सरकार के पक्ष में गै0मु0 सड़क हेतु नामांतरकरण पारित कर खसरा संख्या 308/1, 290/1, 339/1 गै0मु0 सड़क आवंटित किये गये। उक्त गै0मु0 सड़क हेतु पारित नामांतरकरण से भिन्न राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम कर दी गई। जिससे वर्तमान में मौके पर चालू सड़क व राजस्व रिकॉर्ड में की गई तरमीम में भिन्नता आ गई। अंत में प्रार्थीगण द्वारा मौके पर विद्यमान सड़क के अनुसार तरमीम दुरूस्ती कर प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण के बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा से मौका रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण में बहस सुनी गई। दौरान—ए—बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम परिशिष्ट—अ के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में सर्वप्रथम हाल राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः—

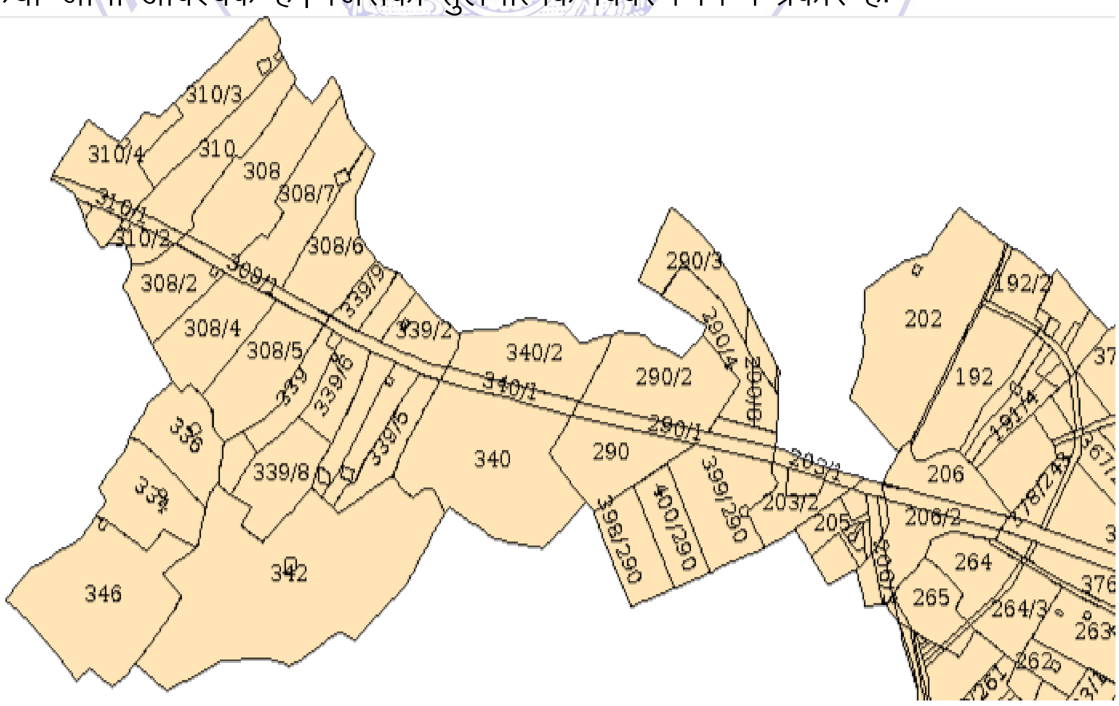

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.13 19:10:10 IST
Reason: SelfAttested

5. प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के हाल राजस्व नक्शा के परीक्षण के पश्चात तहसीलदार नोखड़ा के पत्रांक / कोर्ट / भू.अ. / 2024 / 1788 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। उक्त तहसीलदार नोखड़ा के पत्रांक / कोर्ट / भू.अ. / 2024 / 1788 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः—

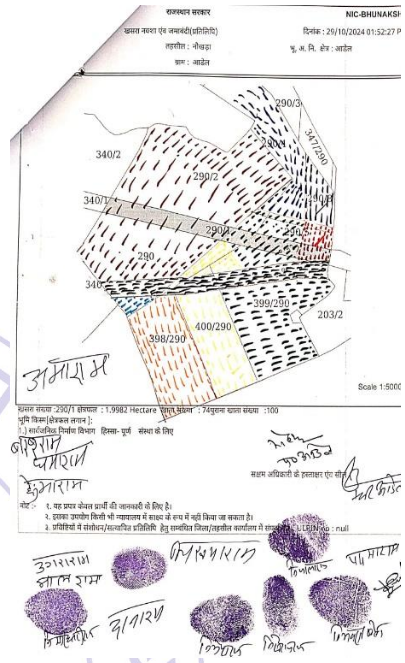

6. प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा के पत्रांक / कोर्ट / भू.अ. / 2024 / 1788 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के प्रासांगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः—

- मौजा आडेल के मूल खसरा संख्या 290, 308, 339 में से निकलने वाली सड़क के खसरा संख्या 290 / 1, 308 / 1, 339 / 1 व मूल खसरा नम्बरान से विभाजित खसरों की तरमीम दुरूस्ती की मौका व रिकॉर्ड का निरीक्षण व परीक्षण करने पर पाया कि पीडब्ल्यूडी सड़क के खसरा संख्या 308 / 1, 290 / 1, 339 / 1 की तरमीम वर्तमान विद्यमान सड़क के अनुसार नहीं की गई है। वर्तमान विद्यमान सड़क व नक्शा तरमीम में अंतर है। प्रार्थी की आराजी में वास्तविक कब्जा काश्त एवं विद्यमान सड़क अनुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित है।

7. प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा के पत्रांक / कोर्ट / भू.अ. / 2024 / 1788 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तथा हाल राजस्व नक्शा के तुलनात्मक अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 399 / 290 / 5.9219 है0, 290 / 2.2181 है0, 339 / 5 / 2.1439 है0, 339 / 4 / 2.0468 है0, 339 / 10 / 2.1034 है0, 339 / 6 / 3.0418 है0, 339 / 2.4270 है0, 339 / 11 / 0.0971 है0, 308 / 5 / 5.6630 है0, 308 / 4 / 5.1695 है0, 308 / 2 / 3.6567 है0 मौजा आडेल तहसील नोखड़ा से होकर डामर सड़क वर्तमान में अवस्थित है। इस प्रकार हाल

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.13 19:10:10 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व नक्शा व वर्तमान में चलायमान डामर सड़क एवं प्रस्तावित नजरी नक्शा के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी की आराजी का रकबा समान है। परन्तु मौके पर चलायमान डामर सड़क के मुताबिक तरमीम नहीं की हुई है। तहसीलदार नोखड़ा के पत्रांक / कोर्ट / भू.अ. / 2024 / 1788 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट से प्रस्तावित तरमीम से प्रार्थी व अप्रार्थी की आराजी का रकबा प्रभावित नहीं होगा। अपितु वर्तमान मौके पर चलायमान सड़क के अनुसार तरमीम दुरूस्ती की जाकर केवल राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन होगा।

8. इस संबंध में राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 30.09.2021 के बिन्दु संख्या 08 के अनुसार इस प्रकार के मामले में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये गये हैं। जिससे प्रासंगिक प्रावधान का विवरण इस प्रकार हैः–

> *जहां रास्ता खातेदार कृषक के खेत / खातेदारी भूमि से निकलता है एवं कृषक द्वारा निरंतर उपयोग किया जा रहा है। परंतु उसकी तरमीम राजस्व नक्शे में भिन्न मौके पर अन्य जगह है तो ऐसी स्थिति में मौके व राजस्व अभिलेख की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में शिविर प्रभारी गुणावगुण के आधार पर विनिश्चय कर राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती कर तरमीम कर सकेगा।*

9. इस प्रकार प्रार्थीगण के खातेदारी खसरा संख्या 399 / 290 / 5.9219 है0, 290 / 2.2181 है0, 339 / 5 / 2.1439 है0, 339 / 4 / 2.0468 है0, 339 / 10 / 2.1034 है0, 339 / 6 / 3.0418 है0, 339 / 2.4270 है0, 339 / 11 / 0.0971 है0, 308 / 5 / 5.6630 है0, 308 / 4 / 5.1695 है0, 308 / 2 / 3.6567 है0 मौजा आडेल तहसील नोखड़ा के मध्य से होकर गै0मु0 सड़क खसरा संख्या 308 / 1, 290 / 1, 339 / 1 मौके पर चालू है। जबकि राजस्व रिकॉर्ड में गै0मु0 सड़क खसरा संख्या 308 / 1, 290 / 1, 339 / 1 प्रार्थी के खातेदारी खसरा संख्या 399 / 290 / 5.9219 है0, 290 / 2.2181 है0, 339 / 5 / 2.1439 है0, 339 / 4 / 2.0468 है0, 339 / 10 / 2.1034 है0, 339 / 6 / 3.0418 है0, 339 / 2.4270 है0, 339 / 11 / 0.0971 है0, 308 / 5 / 5.6630 है0, 308 / 4 / 5.1695 है0, 308 / 2 / 3.6567 है0 मौजा आडेल के किनारे से होकर चालू है। इससे प्रार्थी की खातेदारी आराजी पर नकारात्मक प्रभाव स्पष्ट होता है। अतः राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 30.09.2021 के बिन्दु संख्या 08 के अनुसार मुताबिक तहसीलदार नोखड़ा के पत्रांक / कोर्ट / भू.अ. / 2024 / 1788 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 30.09.2021 के बिन्दु संख्या 08 के अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नोखड़ा को निर्देश दिये जाते हैं कि पत्रांक/कोर्ट/भू.अ./2024/1788 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.13 19:10:10 IST
Reason: SelfAttested

जाने के आदेश दिये जाते हैं। मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार नोखड़ा को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 23.05.2025 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.13 19:10:10 IST
Reason: SelfAttested